पत्रांक-सिं०को०-118/06-पार्ट IV - 223

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

प्रेषक,

संजीव हंस,

सचिव ।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन

जल संसाधन विभाग, मोतिहारी/ सिवान/ सहरसा/ दरभंगा/ गया/ बिहारशरीफ/ औरंगाबाद/ डिहरी/ भागलपुर ।

पटना, दिनांक- 17.06.2020

विषय:- खरीफ सिंचाई अनुदेश 2020

महाशय,

खरीफ सिंचाई अभियान 2020 को सफल एवं प्रभावकारी बनाने हेतु सिंचाई के सभी श्रोतों से उपलब्ध जल को वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध तरीके से जल प्रबंधन कर खरीफ सिंचाई में वृद्धि हेतु समुचित उपयोग करना आवश्यक है ।

1. इस वर्ष विभाग की वृहद् सिंचाई परियोजनाओं से 21.52 लाख हेक्टयर क्षेत्र में खरीफ सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है । खरीफ सिंचाई 2020 के लिए मुख्य अभियंताओं के परिक्षेत्राधीन परियोजनावार/नहरवार लक्ष्य की विवरणी संलग्न है । खरीफ के इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित निदेश दिये जाते है:-

(I) नहरों में सिंचाई के लिये उपलब्ध जल का बेहतर उपयोग करते हुए अन्तर विभागीय समन्वय द्वारा खरीफ सिंचाई 2020 का अभियान प्रभावकारी बनाया जाय, ताकि लक्ष्य के अनुरुप सिंचाई एवं सूदकार हो सके ।

(II) खरीफ सिंचाई 2020 के सफल कार्यान्वियन हेतु मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने स्तर पर पूर्व की भाँति एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगें तथा नहर प्रणालियों से दी जानेवाली सिंचाई का गहन प्रबोधन करते हुए यह सुनिश्चत करेगें कि सिंचाई एवं नहरों में पानी की उपलब्धता से संबंधित सूचना/प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिदिन प्रात: 9.00 बजे एवं साप्ताहिक सिंचाई उपलब्धि प्रतिवेदन (साप्ताहांत शुक्रवार) विहित प्रपत्र में नियमित रूप से सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल को प्राप्त हो जाय ।

(III) खरीफ सिंचाई 2020 के लिए निर्धारित लक्ष्य को मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ कनीय अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों के बीच प्रमंडलवार/जिलावार वितरित करेगें तथा इसकी सूचना विभाग, संबंधित जिला पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी एवं कमांड क्षेत्र विकास अभिकरण को भी देगें ।

(IV) नहरों के संचालन हेतु विभागीय पत्रांक यो०मो०-4 कार्य 10-1400/2001-220, दिनांक-12-4-2004 के द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । नहरों के अंतिम छोर तक जल का वितरण समरूप अनुपात में होना चाहिये, जिसके लिए क्षेत्रीय सिंचाई के प्रभारी अभियंता, मुख्य नहर के नियमन तथा नियंत्रण का भार स्वयं लेगें । जहाँ तातील प्रथा लागू नहीं है एवं जहाँ मनमाना अधिक पानी की शिकायतें है, वहाँ विशेष ध्यान देगें तथा जहाँ पानी की कमी है वहाँ तातील प्रथा लागू कर पानी छोडने की व्यवस्था करेगें ।

(v) संबंधित कार्यपालक अभियंता स्थल भ्रमण करेगें ताकि नहरों के अन्तिम छोर के किसानों को कोई कठिनाई न हो एवं विभाग को अनावश्यक आलोचना का सामना न करना पड़े । अतः सभी संबंधित कार्यपालक अभियंताओ को निदेशित किया जाता है कि स्थल भ्रमण कर नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था करेगें ।

(vi) अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता, नहरों/वितरणियों/उपवितरणियों का प्रतिदिन नियमित रूप से प्रबोधन करेगें एवं इसका प्रतिवेदन सिंचाई मोनिटरिंग अंचल, पटना को उपलब्ध करायेगें ।

(vii) शीर्ष/त्रियक नियामक एवं विभिन्न शाखा नहरों में प्रवाहित जलश्राव का गहन प्रबोधन मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता स्तर पर की जायेगी । जलश्राव में यदि कोई कमी हो तो इसके सुधार हेतु अविलम्ब आवश्यक व्यवस्था करेगें तथा की गयी कार्रवाई की सूचना अपने क्षेत्र के जिलाधिकारी, प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला परिषद् को उपलब्ध करायेगें ।

(viii) सिंचाई के प्रत्येक प्रशाखा एवं अनुमंडल का ग्रामीण नक्शे पर अंकित कमांड मैप होना चाहिये। कनीय अभियंता का दायित्व होगा कि वे अपने कार्य क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सिंचाई की उपलब्धि सुनिश्चित करेगें तथा इसका भी लेखा रखेगें कि किस क्षेत्र में किस कारण से सिंचाई में कमी हुई । सिंचाई में कमी का सत्यापन सहायक अभियंता करेगें तथा सुझाव के साथ प्रस्ताव देगें ।

(ix) उपलब्ध पानी में कमी के कारण, इसके सही एवं समान वितरण के लिए संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता प्रथम उत्तरदायी समझे जायेगें ।

(2) खरीफ सिंचाई अभियान को सफल बनाना हमारा पुनीत कर्त्तव्य है ।प्रत्येक पदाधिकारी, जो सिंचाई कार्य में संलग्न है, का प्रयास होगा कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक उपलब्धि/सूदकार हो । जिनके कार्य क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक सूदकार होगा वे प्रशस्ति के योग्य समझे जायेंगे तथा जिनके क्षेत्र में बिना यथेष्ट कारण के लक्ष्य से कम उपलब्धि/सूदकार होगा उनकी चारित्री मे प्रतिकूल अभियुक्ति दर्ज की जायेगी ।

अनु०- खरीफ सिंचाई लक्ष्य 2020

विश्वासभाजन

ह०/17/6/20

(संजीव हंस)

सचिव

ज्ञापांक:- सिं०को०-118/06-पार्ट IV - 223 पटना, दिनांक:- 17.06.2020

प्रतिलिपि- अनुलग्नक की प्रति के साथ माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, कृषि विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ कृषि विकास आयुक्त, बिहार/ अभियंता प्रमुख (मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण), जल संसाधन विभाग, पटना/ मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4/बाढ़, जल संसाधन विभाग, पटना/ अधीक्षण अभियंता, कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनु०:- खरीफ सिंचाई लक्ष्य-2020

ह०/17/6/20

(संजीव हंस)

सचिव

ज्ञापांक- सिं०को०-118/06-पार्ट IV – 223

पटना, दिनांक- 17.06.2020

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/17/6/20

(संजीव हंस)
सचिव

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
खरीफ सिंचाई 2020 का प्रस्तावित लक्ष्य

(आंकड़ा हे० में)

मुख्य अभियन्ता परिक्षेत्र	नहर प्रणाली	सी॰सी॰ए॰	खरीफ 2019 हेतु प्रभावी सी॰सी॰ए॰	विगत वर्ष 2019 का लक्ष्य	विगत वर्ष 2019 की उपलब्धि	वर्तमान वर्ष 2020 के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा प्रस्तावित लक्ष्य	वर्तमान वर्ष 2020 का विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	प्रतिशत लक्ष्य (विकसित सी.सी. के विरूद्ध)	अभ्युक्ति
डिहरी	सोन नहर प्रणाली (पुरानी)	483401	483401	378754	355665	370667	376742	77.94	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	59017	59017	50599	50599	50599	50599	85.74	
	मध्यम सिंचाई योजना	72941	70955	53440	57726	55526	55526	78.26	
	कुल	**615359**	**613373**	**482793**	**463990**	**476792**	**482867**	**78.72**	
नालंदा	मध्यम सिंचाई योजना	**165803**	**151483**	**132034**	**78638**	**131374**	**132077**	**87.19**	
गया	मध्यम सिंचाई योजना	64246	53510	41572	30023	37597	38577	72.09	Distribution System for total CCA not developed
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	22022	2345	2280	2280	2330	2330	99.36	
	कुल	**86268**	**55855**	**43852**	**32303**	**39927**	**40907**	**73.24**	
औरंगावाद	उत्तर कोयल नहर प्रणाली	123000	71920	56639	47609	63947	65751	91.42	
	सोन उच्चस्तरीय नहर प्रणाली	54227	54227	47355	47355	47355	47355	87.33	
	पटना मुख्य नहर	77601	77601	74656	74662	74656	75347	97.10	
	मध्यम सिंचाई योजना	16156	12246	10067	3319	6108	6587	53.79	
	कुल	**270984**	**215994**	**188717**	**172945**	**192066**	**195040**	**90.30**	
	कुल (सोन परियोजना):-	**696268**	**676591**	**553644**	**530561**	**545607**	**552373**	**81.64**	
सहरसा	पूर्वी कोशी नहर प्रणाली	**612000**	**594730**	**432095**	**411129**	**439325**	**449329**	**75.55**	
दरभंगा	पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	203300	174810	57912	57924	61738	61738	35.32	
	कमला सिंचाई योजना (त्रिशुला, किंग्स केनाल एवं मुनहरा सिंचाई सहित)	36606	36068	26026	24509	26247	26275	72.85	Canals under construction and distribution System for total CCA not developed.
	कुल	**239906**	**210878**	**83938**	**82433**	**87985**	**88013**	**41.74**	
मोतीहारी	पूर्वी गंडक नहर प्रणाली	**571665**	**480665**	**363607**	**342743**	**347568**	**355966**	**74.06**	
सिवान	पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली	**399000**	**366577**	**221763**	**217187**	**218327**	**222090**	**60.58**	Distribution System for total CCA not developed
	कुल(गंडक परियोजना):-	**970665**	**847242**	**585370**	**559930**	**565895**	**578056**	**68.23**	
भागलपुर	चंदन जलाशय योजना	75000	69312	56124	42784	58529	61224	88.33	
	बदुआ जलाशय योजना	45850	36664	36219	15175	36219	36219	98.79	
	अन्य योजना (मध्यम सिंचाई यो० सहित)	116025	95258	89059	51540	86591	88078	92.46	
	कुल(भागलपुर परिक्षेत्र):-	**236875**	**201234**	**181402**	**109499**	**181339**	**185521**	**92.19**	
	कुलयोग	**3197860**	**2890789**	**2130201**	**1910867**	**2114703**	**2151810**	74.44	